क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/12/16	पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब P.I. हेतु दिनांक 9/2/17 को पेश हो।	
	9/2/17	पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब हेतु दिनांक 20/4/17 को पेश हो।	
	20/4/17	पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब हेतु दिनांक 18/5/17 को पेश हो।	
	18/5/17	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उप०। P.O. सा० कैम्प कोर्ट मे पधारे है। पत्रावली पूर्वानुसार कैम्प कोर्ट परवण पर दिनांक 31.5.17 को पेश हो।	प्रति. वादी सं. 1 के undertaken by [illegible] 31/5/17
	31.5.17	पत्रावली आज आपके हार कोर्ट कैम्प परवण पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। प्रार्थी ① की V.T.A. गजेन्द्र सिंह एड० ने की। पत्रावली में पक्षकारान की तामील पूर्ण है। प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। अतः प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं। अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त ख० न० 377, 378, 380, 381, 382 व० 390 किता-13 रकबा 27.13 बीघा ग्राम गोकुलपुरा त० [illegible] के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	